

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2016/वैशाख 30, 1938 No. 361] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2016/VAISAKHA 30, 1938

विदेश मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 536(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (भर्ती, संवर्ग, विरष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1964, भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (आशुलिपिक 'संवर्ग) (प्रधान निजी सचिव के पद) नियम, 1992, भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (आशुलिपिक' संवर्ग), विरष्ठ प्रधान निजी सचिव नियम, 2001 और भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' प्रमुख स्टाफ आफिसर नियम, 2012 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण के पहले जिस रूप में चीजें की गई अथवा करने के लिए छोड़ी गई को छोड़कर,राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों को भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' नियम, 2016 कहा जाए।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (क) किसी भी संवर्ग के संबंध में "अनुमोदित सेवा" का मतलब है -
- (i) सीधी भर्ती से उस संवर्ग में आए अधिकारी के संबंध में, जिस वर्ष में सीधी भर्ती हुई थी उस वर्ष के बाद के वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन से उसके द्वारा उस संवर्ग में की गई नियमित सेवा की अविध या अविधयां हैं जिसमें उसकी अनुपस्थिति की अविध या अविधयां जिसके दौरान उसने उस संवर्ग में नियमित आधार पर पद धारण किया होता लेकिन उसके छुट्टी पर होने या अन्यथा उस पद के धारण के लिए उपलब्ध नहीं था, शामिल हैं;
- (li) विभागीय परीक्षा से उस संवर्ग में आए अधिकारी के संबंध में, जिस वर्ष में यह परीक्षा हुई थी उस वर्ष के बाद के वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन से उसके द्वारा उस संवर्ग में की गई नियमित सेवा की अविध या अविधयां हैं जिसमें उसकी अनुपस्थिति की अविध या अविधयां जिसके दौरान उसने उस संवर्ग में नियमित आधार पर पद धारण किया होता लेकिन उसके छुट्टी पर होने या अन्यथा उस पद के धारण के लिए उपलब्ध नहीं था, शामिल हैं;
- (lii) निम्नतर संवर्ग में सेवा की अवधि के आधार पर उस संवर्ग में भर्ती अधिकारी के संबंध में, जिस वर्ष में यह भर्ती हुई थी उस वर्ष के बाद के वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन से उसके द्वारा उस संवर्ग में की गई नियमित सेवा की अवधि या अवधियां हैं जिसमें उसकी अनुपस्थिति की अवधि या अवधियां जिसके दौरान उसने उस संवर्ग में नियमित आधार पर पद धारण किया होता लेकिन उसके छुट्टी पर होने या अन्यथा उस पद के धारण के लिए उपलब्ध नहीं था, शामिल हैं;

2542 GI/2016 (1)

- (ख) "कैडर" का अभिप्राय नियम 3 में निर्दिष्ट सेवा के संवर्ग में पदों के समूह से है और इसमें सेवा की संख्या में अस्थायी परिवर्धन भी शामिल है:
- (ग) किसी भी ग्रेड के संबंध में "कैडर अधिकारी" का अभिप्राय सेवा के किसी सदस्य से है,
- (घ) "आयोग" का अभिप्राय संघ लोक सेवा आयोग से है,
- (ई) "नियंत्रक प्राधिकारी" का मतलब भारत सरकार में विदेश मंत्रालय से है,
- (च) नियम 10 से 17 में उल्लिखित पदोन्नित के प्रयोजन के लिए "पात्रता की महत्वपूर्ण तारीख", का मतलब भर्ती के वर्ष के जुलाई के पहले दिन से है:
- (छ) "सीधी भर्ती" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो विभागीय प्रतियोगी परीक्षा से इतर, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भर्ती हुआ है;
- (ज) सेवा के किसी भी ग्रेड के संबंध में "ड्यूटी पोस्ट" का अभिप्राय कैडर पोस्ट से है उस सेवा के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर धारण किया गया है;
- (झ) "संवर्ग" का अभिप्राय नियम 3 में विनिर्दिष्ट संवर्गों से है;
- (ट) "कर्मचारी चयन आयोग" का अभिप्राय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में कर्मचारी चयन आयोग से है;
- (ठ) किसी चयन सूची वर्ष के लिए संवर्ग के संबंध में "नियमित रिक्त" का अभिप्राय 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार उस संवर्ग में वास्तविक रिक्त से है जिसमें भर्ती के किसी भी रूप के लिए पूर्ववर्ती चयन सूची वर्षों की रिक्तियां जिसकी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जमा चयन सूची वर्ष के दौरान पदोन्नति, सेवा निवृत्ति, प्रतिनियुक्ति और लंबी छुट्टी के कारण उस संवर्ग में अनुमानित रिक्तियां शामिल नहीं है:
- (ङ) सेवा के विभिन्न संवर्गों के संबंध में "चयन सूची" का अभिप्राय उस संवर्ग के लिए भर्ती के सभी रूपों के लिए चयन सूची वर्ष के लिए जारी संगत पैनेज के विलय द्वारा तैयार अधिकारियों की सूची से है;
- (त) "चयन सूची वर्ष' का अभिप्राय उस वर्ष के 1 जुलाई से अगले वर्ष के 30 जून तक की अवधि से है;
- (थ) "सेवा" का अभिप्राय भारतीय विदेश सेवा शाखा ख से है।
- 3. सेवा की संरचना (1) सेवा में निम्नलिखित संवर्ग हैं अर्थात्
- (1) सामान्य संवर्ग:

सारणी

(1)	(2)	(3)
संवर्ग/वर्गीकरण	संस्वीकृत संख्या 2015	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन
ग्रेड - 1 (मुख्यालय में अवर सचिव। विदेश में	249	वेतन बैंड-3 रु.15600-39100 जमा (ग्रेड वेतन)
मिशन या पोस्ट में प्रथम सचिव और द्वितीय		₹. 6600/-
सचिव)		(1 0000)
केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' मंत्रालयी,		
राजपत्रित।		
मुख्यालय में अताशे और अनुभाग अधिकारी।	635	वेतन बैंड -2 रु. 9300-34800 जमा (ग्रेड वेतन)
विदेशों में मिशनों और पोस्टों में वाइस कांसल्स		হ. 4800
और पंजीयक		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ख' मंत्रालयी,		
राजपत्रित।		वेतन बैंड -3 रु.15600-39100 जमा (ग्रेड वेतन)
		रु. 5400
		सेवा के अनुभाग अधिकारी को उस संवर्ग में चार
		वर्षों की सेवा पूरी करने पर गैर-कार्यात्मक वेतन
		बैंड-3, रु.15600-39100 जमा (ग्रेड वेतन)
		रु. 5400/- अनुमत है। जिन अनुभाग अधिकारियों
		को यह गैर कार्यात्मक वेतनमान दिया जाता है, वे
		समूह 'ख' (राजपत्रित) बने रहेंगे और सेवा के समूह ।

		(अवर सचिव) में पदोन्नति के लिए उनकी पात्रता
		अनुभाग अधिकारी के दोनों वेतनमानों में साथ
		गणना कर कुल अवधि के आधार पर मानी जाएगी।
मुख्यालय में और विदेशों में मिशनों और पोस्टों	829	वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 जमा ग्रेड वेतन
में सहायक		₹. 4600
केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ख' मंत्रालयी,		×. 4000
मुख्यालय में और विदेशों में मिशनों और पोस्टों	67	वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 जमा ग्रेड वेतन
में अपर श्रेणी लिपिक		
केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' मंत्रालयी,		रु. 2400
मुख्यालय में और विदेशों में मिशनों और पोस्टों	215	वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 जमा ग्रेड वेतन
। में अवर श्रेणी लिपिक	213	·
केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' मंत्रालयी,		रु. 1900
(∷) सिफर उप संवर्ग		
सिफर सहायक	99*	वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 जमा ग्रेड वेतन
केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' मंत्रालयी,		रु. 4600
नोट : भविष्य में सिफर सहायक श्रेणी के लिए		
कोई भर्ती नहीं होगी		
(iii) आशुलिपिक संवर्ग		
ग्रेड/वर्गीकरण	स्वीकृत संख्या	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन
प्रमुख स्टॉफ अधिकारी	12*	वेतन बैंड -4, रु. 37400-67000 जमा ग्रेड वेतन
केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'क' मंत्रालयी,		
राजपत्रित	नोट: तथापि, इस बात की छूट	रु. 8700
	होगी कि जब भी वरिष्ठ प्रमुख	
	निजी सचिव इन पदों के प्रति	
	पदोन्नत होंगे ये पद प्रमुख स्टॉफ अधिकारी के रूप में ऑपरेट होंगे	
	और ऐसे समय तक ये पद वरिष्ठ	
	प्रमुख निजी सचिव के स्तर पर	
	अपुरेट किए जाते रहेंगे।	
वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव	25	वितन बैंड-3, रु. 15600-39100 जमा ग्रेड वेतन
केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'क' मंत्रालयी,	20	वतन बड-उ, रु. 15600-39100 जमा ग्रंड वतन
,		र 7600
राजपत्रित	404	2 8
प्रमुख निजी सचिव	1 34 	वेतन बैंड-3, रु. 15600-39100 जमा ग्रेड वेतन
केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'क' मंत्रालयी,		रु 6600
राजपत्रित	070	
निजी सचिव	376	वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 जमा (ग्रेड वेतन)
केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'ख' मंत्रालयी,		रु. 4800
राजपत्रित		वेतन बैंड-3, रु. 15600-39100 जमा (ग्रेड वेतन)
		v. 5400
		नोट: सेवा के निजी सचिव को उस संवर्ग में चार
		वर्षों की अनुमोदित सेवा पूरी करने पर गैर-
		कार्यात्मक वेतन बैंड-3, रु. 15600-39100 जमा
		(ग्रेड वेतन) रु. 5400/- अनुमत है। जिन निजी
		सचिवों को यह गैर कार्यात्मक वेतनमान दिया
		जाता है, वे समूह 'ख' (राजपत्रित) बने रहेंगे और
		पीपीएस ग्रेड में उनकी पदोन्नति के लिए पात्रता
		निजी सचिव के दोनों वेतनमानों में बिताई गई कुल
		अवधि की साथ गणना कर मानी जाएगी।

निजी सहायक केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'ख' मंत्रालयी,	355	वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 जमा (ग्रेड वेतन) रु. 4600
आशुलिपिक समूह 'घ' केंद्रीय सिविल सेवा समूह 'ग' मंत्रालयी,	66	वेतन बैंड -1, रु. 5200-20200 जमा (ग्रेड वेतन) रु. 2400

- (2) इन नियमों के आरंभ की तारीख को और से विभिन्न संवर्गों की प्राधिकृत स्थायी संख्या व्यय विभाग के परामर्श से नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय –समय पर यथा अधिसूचित होगी।
- (4) विभागीय पदोन्नित समितियां: पदोन्नित के प्रयोजन के लिए विभागीय पदोन्नित समितियों और नियम 10 से 17 में उल्लिखित स्थायीकरण पर विचार करने के लिए विभागीय स्थायीकरण समितियों की संरचना इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शाए गए अनुसार होगी।
- 5. **ड्यूटी पदों को स्थगित रखने अथवा संवर्ग बाह्य घोषित करने की शक्ति :** (1) नियंत्रण प्राधिकारी किसी स्थायी अथवा अस्थायी संवर्ग पद को स्थगित रख सकता है।
- (2) संवर्ग के किसी ड्यूटी पद को नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा संवर्ग से बाहर घोषित किया जा सकता है,
- (i) यदि इस प्रकार के पद का कुछ समय के लिए विशेष या तकनीकी अर्हता या अनुभव वाले व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के आधार पर भरा जाना है, अथवा
- (ii) यदि कुछ समय के लिए ऐसे पद को संवर्ग से बाहर किसी **ऐसे व्यक्ति से भरा जाना आवश्यक है जो किसी अन्य केंद्रीय सरकार** सेवा अथवा राज्य सरकार सेवा से हो और समान पद पर हो और नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा यथाविहित अर्हता या अनुभव रखता हो, और इस प्रकार की घोषणा किए जाने पर, यह पद संवर्ग से तब तक बाहर रहेगा जब तक उक्त घोषणा लागू रहती है।

परंतु यह कि जहां चयन को क्षेत्र राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच से भी है या जहां इसमें समूह क सेवा या पद के साथ समूह ख या समूह क और समूह ख दोनों शामिल है, यह नियुक्ति आयोग के परामर्श से की जाएगी।

- 6. **समतुल्य पद के प्रति तैनाती की शक्ति –** (1) नियंत्रण पदाधिकारी यदि संतुष्ट है कि यह करना लोकहित में है तो वह,
 - (i) आशुलिपिक संवर्ग के निजी सचिव के पद पर **सामान्य संवर्ग के अनुभाग अधिकारी** को तैनात कर सकता है और उसके बदले में सामान्य संवर्ग के अनुभाग अधिकारी के पद पर आशुलिपिक संवर्ग के निजी सचिव को तैनात कर सकता है ;
 - (ii) सामान्य संवर्ग के सहायक के पद पर सिफर उप संवर्ग के सिफर सहायक की तैनाती कर सकता है।
- (2) उपनियम (1) के तहत तैनात कर्मचारी उसे उसके संवर्ग में समय-समय पर अनुमत ग्रेड वेतन प्राप्त करता रहेगा।
- 7. **सेवा के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति –** सरकार किसी भी समय सेवा के किसी सदस्य को सेवा में उसके द्वारा धारित समतुल्य अथवा उच्चतर पद पर किसी अन्य केंद्रीय सेवा अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन अथवा किसी विदेशी कर्मचारी के तहत प्रतिनियुक्ति कर सकती है इस प्रकार प्रतिनियुक्ति सदस्य प्रतिनियुक्ति आरक्षित पद के प्रति दर्शाया जा सकता है:

परंतु यह कि प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रथम बार में तीन वर्षों से अधिक की नहीं होगी यद्यपि सरकार इसे आगे की अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो एक बार में दो वर्षों से अधिक नहीं होगी।

परंतु यह भी कि प्रतिनियुक्ति का पूरा कार्यकाल एक बार में पांच वर्षों से अधिक नहीं होगा।

- 8. **संवर्ग अधिकारियों की तैनाती** हर अधिकारी, जब तक वह छुट्टी पर नहीं हो अथवा ड्यूटी पद को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं हो, संवर्ग में उपयुक्त श्रेणी के ड्यूटी पद पर तैनात किया जाएगा।
- 9. **संवर्ग अधिकारियों द्वारा धारित ड्यूटी पद** संवर्ग में हर ड्यूटी पद जब तक यह संवर्ग बाह्य न घोषित कर दिया गया हो, अथवा नियम 5 के तहत किसी कारण से स्थगित न रखा गया हो, उपयुक्त श्रेणी के सवंर्ग अधिकारी द्वारा धारण किया जाएगा।
- 10. श्रेणी 1 (अवर सचिव) की भर्ती (1) श्रेणी 1 में नियमित रिक्तियां सामान्य संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारियों के चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जाएगी जिन्होंने निर्णायक तारीख को विदेश मंत्रालय द्वारा विहित अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को सफलतापूर्वक पूरा किया है और उस संवर्ग में 8 वर्षों से कम की अनुमोदित सेवा नहीं की हो।
- (2) उपनियम (1) में निहित किसी भी बात के होते हुए सामान्य संवर्ग की श्रेणी 1 की किसी रिक्ति को औपवादिक मामलों में और लोक हित में नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा आयोग के परामर्श से विदेश मंत्रालय में स्थायी समूह 'क' संवर्ग बाह्य पद को धारण करने वाले अधिकारी के अवशोषण द्वारा भरा जा सकता है।

- 11. अनुभाग अधिकारी श्रेणी की भर्ती (1) अनुभाग अधिकारी श्रेणी में नियमित रिक्तियां (i) 33.33 प्रतिशत सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएगी जो आयोग द्वारा सामान्य श्रेणी के सहायक ग्रेड के अधिकारियों और सिफर ग्रेड के सिफर सहायकों और आशुलिपिक संवर्ग के निजी सहायकों में से आयोजित की जाएगी जिन्होंने (क) विदेश मंत्रालय द्वारा यथाविहित इस प्रकार के अनिवार्य प्रिक्षिण कार्यक्रम(मों) को सफलतापूर्वक पूरा किया हो, (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखता हो, (ग) 5 वर्षों से कम की अनुमोदित सेवा पूरी नहीं की हो और इस श्रेणी में कम से कम 4 वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, अर्जित की हो ; और (ii) 66.67 प्रतिशत सामान्य संवर्ग के नियमित सहायकों और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को कार्यरत सिफर सहायकों की 7:2 के अनुपात में पदोन्नति द्वारा जिन्होंने निर्णायक तारीख को विदेश मंत्रालय द्वारा यथाविहित इस प्रकार के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और 8 वर्षों से कम की अनुमोदित सेवा पूरी नहीं की हो और ज्यों ही दर्शाई गई तारीख को सिफर सहायक के पद को धारण करने वाले व्यक्ति इन पदों को खाली करते हैं अनुभाग अधिकारी श्रेणी के सभी पद इस खंड के अनुसार उसके बाद सामान्य संवर्ग के सहायकों के पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे।
- (2) उपर्युक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रियाएं विदेश मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार निर्धारित होंगे।
- 12. **सहायक ग्रेड में भर्ती** : सहायक ग्रेड में नियमित रिक्तियां निम्नानुसार भरी जाएंगी अर्थात्
- (i) सहायक ग्रेड में अस्सी प्रतिशत (80%) नियमत रिक्तियां इस प्रयोजन के लिए वर्ष में एक बार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित स्नातक स्तर परीक्षा के परिणामों के आधार पर कंप्यूटर दक्षता रखनेवाले किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से स्नातकों की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी।
- (ii) पंद्रह प्रतिशत (15%) नियमित रिक्तियां अपर श्रेणी लिपिक ग्रेड की सेवा में शामिल व्यक्तियों के चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने निर्णायक तारीख को उस ग्रेड में दस वर्षों से कम की अनुमोदित सेवा पूरी न की हो और विदेश मंत्रालय द्वारा यथाविहित इस प्रकार के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को सफलतापूर्वक पूरा किया हो,

परंतु यह कि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए पात्रता शर्त इन नियमों के आरंभ की तारीख को नियमित आधार पर अपर श्रेणी लिपिक के पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पांच वर्षों की ''अनुमोदित सेवा'' जारी रहेगी।

(iii) पांच प्रतिशत (5%) नियमित रिक्तियां अपर श्रेणी लिपिक ग्रेड की सेवा के लिए कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम भरी जाएगी जिन्होंने संगत तारीख को विदेश मंत्रालय द्वारा यथाविहित इस प्रकार के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को सफलतापूर्वक पूरा किया हो और उस ग्रेड में छह वर्षों से कम की अनुमोदित सेवा पूरी न की हो।

परंतु यह किसी खास चयन सूची में पर्याप्त संख्या में व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियां ऊपर खंड (ii) में विहित तरीके से भरी जाएंगी।

- (iv) उपर्युक्त सम्मलित स्नातक स्तर परीक्षा और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम विदेश मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- 13. **अपर श्रेणी लिपिक ग्रेड की भर्ती** सेवा के अपर श्रेणी लिपिक ग्रेड की सभी रिक्तियां सेवा के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में शामिल व्यक्तियों में से वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने उस ग्रेड में आठ वर्षों से कम की अनुमोदित सेवा परी न की हो और विदेश मंत्रालय द्वारा यथाविहित इस प्रकार के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
- 14. अवर डिवीजन क्लर्क ग्रेड के लिए भर्ती: (1) नियमित रिक्त पदों को निम्न तरीके से भरा जाएगा अर्थात्:-
- (i) नियमित पदों के 15 प्रतिशत को गुप 'सी' में विदेश मंत्रालय में काम कर रहे मल्टी टास्किंग स्टाफ की नियुक्ति के द्वारा भरा जा सकता है जो कि निम्नानुसार होगा :-
- (क) नियमित रिक्तियों के 5 प्रतिशत को ग्रुप 'सी' में मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा जो कि इस प्रयोजनार्थ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी, इस परीक्षा में मल्टी टास्किंग स्टाफ जिसने 12वीं स्टैंडर्ड परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष से उत्तीर्ण की हो और 1800 रु. के ग्रेड पे के साथ ग्रुप 'सी' कर्मचारी के रूप में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो और ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो जैसा कि विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, वे ऐसी परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे ऐसा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा समय समय पर बनाए गए विनियमों के अधीन होगा।
- (ख) नियमित रिक्तियों के 10 प्रतिशत को गैर चयन के आधार पर भरा जा सकता है यह विदेश मंत्रालय में कार्य कर रहे उन ग्रुप 'सी' के मल्टी टास्किंग स्टाफ में से होगा जिन्होंने निर्धारित तारीख को कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा को पूर्ण किया हो और ऐसे अनिवार्य प्रिशक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो जिन्हों विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और वे नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित वरिष्ठताकी सीमा के भीतर आते हों तथा अवर डिवीजन क्लर्क के रूप में नियुक्ति हेतु शैक्षिक रूप से योग्यता पास की हो जैसा कि गुप 'सी' पदो ंके लिए मॉडल भर्ती नियमों में निर्धारित किया गया है।

- बशर्तें कि, यदि व्यक्तियों की संख्या पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो रिक्तियों को खंड (ii) में वर्णित तरीके से भरा जाएगा:
- (ii) रिक्तियों का 85 प्रतिशत (या) इस तरह के उच्च प्रतिशत के रूप में खंड (i) के परन्तुक के अनुसार जैसा कि नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो, के लिए नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा होगी:
 - बशर्ते कि खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के परिणामस्वरूप नियुक्ति के वास्ते योग्य उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो रिक्तियों को नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से नियमित आधार पर (या) प्रावधिक आधार पर भरा जा सकता है।
- (2) उप नियम (i) में अन्यथा कुछ होते हुए भी नियंत्रक प्राधिकारी एक वर्ष में उत्पन्न होने वाले ऐसे प्रतिशत को केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित प्रासंगिक निर्देशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर इस प्रयोजनार्थ लागू नियमों के अनुसार भर सकते हैं।
- 15. प्रधान स्टाफ अधिकारी, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव ग्रेड के लिए नियुक्ति :- (1) प्रधान स्टाफ अधिकारी ग्रेड में नियमित नियुक्तियां गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भरी जाएंगी जो कि संगठित गुप 'ए' सेवाओं के मामले में लागू होगा जिसमें वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ग्रेड के अधिकारी शामिल होंगे जिन्होंने निर्धारित तारीख को इस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूर्ण की हों, ऐसा न होने पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव की प्रोन्नति द्वारा जिसमें 10 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में होनी अनिवार्य है जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में होनी अनिवार्य होगी।
- (2) वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित नियुक्तियां प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जो कि प्रधान निजी सचिव ग्रेड के नियमित अधिकारियों के चयन के माध्यम से होगा जिन्होंने निर्धारित तारीख को ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हों और इन अधिकारियों ने इस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूर्ण कर ली हो।
- (3) प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियमित रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जो कि निजी सचिव ग्रेड के नियमित अधिकारियों के चयन के माध्यम से होगा जिन्होंने निर्धारित तारीख को ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो जैसा कि विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया हो और उन अधिकारियों ने इस ग्रेड में कम से कम 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूर्ण की हो।
- **16.** निजी सचिव ग्रेड के लिए भर्ती: (1) (i) निजी सचिव के ग्रेड में नियमित रिक्तियां के 66.67 प्रतिशत को वरिष्ठता के आधार पर (वरिष्ठता कोटा से) प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। यह, सेवा के आशुलिपिक संवर्ग के उन वैयक्तिक सहायकों से होगा जिन्होंने निर्धारित तारीख को ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूर्ण कर लिया है जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हों और इसके साथ ही उन्होंने इस ग्रेड में कम से कम 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा भी पूर्ण की हो।
- (ii) 33.33 प्रतिशत को आशुलिपिक संवर्ग की सेवा के नियमित वैयक्तिक सहायकों से आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा, यह उन नियमित वैयक्तिक सहायकों पर लागू होगा जिन्होंने निर्धारित तारीख को एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो और इस ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूर्ण की हों तथा ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हों।
- (2) उपरोक्त संदर्भित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण विदेश मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा किया जाएगा।
- 17. निजी सहायक ग्रेड के लिए भर्ती: (1) निजी सहायक ग्रेड में नियमित रिक्त पदों को भरा जाएगा (i) 62.5 प्रतिशत को एस.एस.सी. द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ii) 25 प्रतिशत को सेवा के आशुलिपिकग्रेड 'डी' में से चयन आधार पर प्रोन्नित द्वारा (विरष्ठता कोटा से), यह उन आशुलिपिकों पर लागू होगा जिन्होंने निर्धारित तारीख को ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को पूरा किया हो जोकि विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए हैं और इस ग्रेड में कम से कम 10 साल की अनुमोदित सेवा को पूर्ण किया है और (iii) 12.5 प्रतिशत को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से यह उन आशुलिपिकों पर लागू होगा जिन्होंने कम से कम 6 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूर्ण की हों और विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित ऐसे अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया हो :

बशर्ते कि उक्त प्रयोजन के लिए पात्रता सेवा इन नियमों के प्रारंभ की तिथि से पहले नियमित आधार पर आशुलिपिक ग्रेड 'घ' का पद धारित व्यक्तियों हेतु नियमित रूप से 5 वर्ष की अनुमोदित सेवा की रहेगी।

- (2) ऊपर उल्लिखित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा हेतु नियमों का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में बनाये गए विनियमों द्वारा किया जाएगा।
- **18.** आशुलिपिक ग्रेड घ के लिए भर्ती :- (1) आशुलिपिक ग्रेड घ सेवा में नियमित रिक्तियों को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस उद्देश्य हेत् आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।
- (2) उप नियम (1) में उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु नियमों का निर्धारण विदेश मंत्रालय द्वारा बनाये जाने वाले विनियमों द्वारा किया जाएगा।
- **19. वरिष्ठता का विचार :-** नियम 10 से 17 में शामिल प्रावधानों के होते हुए भी, जहां किनष्ठ जिन्होंने अपनी पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है और अन्य सभी निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते है जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें कि वे प्रोन्नति हेतु अन्य निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और ऐसी पात्रता सेवा के आधे से अधिक या 2 वर्षों तक की अपेक्षित सेवा, जो भी कम हों, से कम नहीं हैं, और उन्होंने अपने किनष्ठों जिन्होंने पहले ही ऐसी पात्रता सेवा को पूरा कर लिया है के साथ अगले उच्च ग्रेड के लिए प्रोन्नति हेतु परिवीक्षा अविधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- **20. बरिष्ठता:-** (1) इन नियमों की शुरूआत से पहले किसी भी ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों की संबंधित वरिष्ठता कथित तिथि से पहले निर्धारित उनकी संबंधित वरिष्ठता द्वारा विनियमित की जाएगी।

बशर्तें कि, ऐसे किसी अधिकारी की वरिष्ठता विशेषतः कथित तिथि से पहले निर्धारित नहीं की गई हो, तो इसका निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में आयोग के साथ विचार विमर्श करके किया जाएगा।

- (2) इन नियमों के आरंभ की तिथि के बाद किसी भी ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता इस विषय पर समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- 21. परिवीक्षा :- (1) प्रत्येक अधिकारी, (i) जो सामान्य कैडर में अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में चाहे सीधे भर्ती किया गया हो या पदोन्नित हुआ हो या सहायक ग्रेड में सीधे भर्ती किया गया हो या पदोन्नित हुआ हो या ग्रेड। के लिए पदोन्नित हुआ हो, और (ii) सीधे ही आशुलिपिक ग्रेड घ पर भर्ती किया गया हो या पदोन्नित किया गया हो या वैयक्तिक सहायक के पद पर सीधे भर्ती किया गया हो या आशुलिपिक कैडर के प्रधान निजी सचिव के पद पर पदोन्नित से आया हो, को प्रारंभ में परिवीक्षा की अविध पर तैनात किया जाएगा, परिवीक्षा की अविध तैनाती की तिथि से 2 वर्ष की होगी

बशर्तें कि नियंत्रण प्राधिकरण परिवीक्षा की अवधि को सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेषों के अनुसार बढ़ा सकता है।

इसके अलावा प्रावधान किया जाता है कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने का कोई भी निर्णय पहले की परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के बाद 8 सप्ताह के भीतर अस्थायी रूप से लिया जाएगा और कथित अवधि के भीतर संबंधित अधिकारी को ऐसा करने के कारण के साथ लिखित में इसकी सचना दी जाएगी।

- (2) परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार की अवधि के पूरा होने पर, अधिकारियों को, यदि स्थायी तैनाती के लिए फिट माना जाता है तो उन्हें नियमित आधार पर तैनात कर दिया जाएगा और उचित समय में इसकी पृष्टि की जाएगी जैसा भी मामला हों।
- (3) यदि, परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार, जैसा भी मामला हो, की अवधि के दौरान जहां नियंत्रक प्राधिकरण के विचार में अधिकारी स्थायी तैनाती के लिए फिट नहीं है तो नियंत्रक प्राधिकरण अधिकारी का निर्वहन कर सकता है या सेवा में उसकी तैनाती से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर उसे वापस लौटा सकता है, जैसा भी मामला हों।
- (4) परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित ऐसे प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों और अनुदेशों को करना पड़ सकता है और परिवीक्षा के संतोषजनक पूरा होने के लिए शर्त के रूप में नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा सही समझी जाने वाली परिक्षाओं और परीक्षणों (जिसमें हिंदी में परीक्षा भी शामिल है) को पास करना पड़ सकता है।
- (5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, सेवा के सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।
- **22. उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए :-** (1) सेवा में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए या व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से होना चाहिए जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अधिसूचित किया जाता है।
- (2) कोई व्यक्ति,-
- (क) कोई व्यक्ति जिसमें ऐसे किसी व्यक्ति जिसका पित/पत्नी जीवित हो के साथ विवाह में प्रवेश किया या विवाह किया है; या
- (ख) जिसकी पति/पत्नी जीवित है ने किसी व्यक्ति के साथ विवाह में प्रवेश या विवाह किया है, सेवा के लिए निय्क्ति का पात्र नहीं होगा।

बशर्तें कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि, ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह करने वाले अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानूनों के अंतर्गत जायज है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, किसी व्यक्ति को इस उप नियम के संचालन से छूट दे सकती है।

- 23. सेवा की अन्य शर्ते:- उन मामलों के संबंध में जिनके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान मौजूद नहीं हैं या जिसके लिए अलग से कोई विशेष नियम नहीं बनाया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्त केन्द्रीय नागरिक सेवाएं ग्रुप ए से सी के अधिकारियों पर समय समय पर लागू शर्तों के अनुसार होंगी।
- **24. कठिनाइयों का निदान**:- केन्द्रीय सरकार समय समय पर ऐसे सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकती है जो कि इन नियमों के प्रावधानों में से किसी भी प्रावधान के संचालन में आने वाली कठिनाईयों को निकालने के लिए आवश्यक हों।
- **25. विनियमन :-** इन नियमों के अनुसरण में, इन नियमों को प्रभाव प्रदान करने के प्रयोजन हेतु ऐसे विनियमन बनाये जा सकते हैं जो इन नियमों के अंसगत न हों, ताकि सभी मृद्दों जिनके लिए प्रावधान की आवश्यकता है या उचित है के लिए प्रावधान कर सकें।
- **26. छूट देने की शक्ति:** जहां पर केन्द्रीय सरकार का मत हो कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, केन्द्रीय सरकार, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए आदेश द्वारा और आयोग के साथ विचार विमर्श करके व्यक्तियों या पदों किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों से छूट दे सकती है।

बशर्तें कि इस व्यवस्था का प्रयोग सीधी भर्ती के लिए उच्चतम आयु सीमा या शैक्षिक योग्यता को शासित करने वाले भर्ती नियमों के प्रावधानों को छोड़कर ग्रुप सी पदों के संबंध में नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

27. बचत :- इन नियमों में शामिल कोई भी नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को प्रदान किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, राहत और अन्य छुटों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनु**बंध** अनु**सूची** नियमों के नियम 4 के संदर्भ में पदोन्नित/ स्थायीकरण हेतु विभागीय प्रोन्नति (डीपीसी) का गठन

सामान्य कैडर	विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन	स्थायीकरण पर विचार करने हेतु विभागीय स्थायीकरण समिति
(I) ग्रेड।	(1) अध्यक्ष/आयोग के सदस्य - अध्यक्ष	(1) विदेश मंत्रालय में प्रशासन प्रभारी
(अवर सचिव)	(2) विदेश मंत्रालय में प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव -	संयुक्त सचिव - सदस्य
	सदस्य	(2) विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा
	(3) विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किए जाने	नामित किए जाने वाले विदेश
	वाले विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव - सदस्य	मंत्रालय के संयुक्त सचिव - सदस्य
	(4) निदेशक (प्रशासन) , विदेश मंत्रालय - सदस्य	(3) निदेशक (प्रशासन) , विदेश
		मंत्रालय - सदस्य
(II)	(1) विदेश मंत्रालय में प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव -	लागू नहीं
अनुभाग अधिकारी	अध्यक्ष	
	(2) निदेशक (प्रशासन) , विदेश मंत्रालय - सदस्य	
	(3) विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किए जाने	
	वाले विदेश मंत्रालय में दो अवर सचिव - सदस्य	
(III)	(1) विदेश मंत्रालय में प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव -	विभागीय प्रोन्नति समिति की तरह
सहायक ग्रेड	अध्यक्ष	
	(2) निदेशक (प्रशासन) , विदेश मंत्रालय - सदस्य	
	(3) विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किए जाने	
	वाले विदेश मंत्रालय में दो अवर सचिव - सदस्य	
(IV)	(1) निदेशक (प्रशासन) , विदेश मंत्रालय - अध्यक्ष	लागू नहीं
अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड	(2) विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किए जाने	
	वाले विदेश मंत्रालय में दो अवर सचिव - सदस्य	
(V)	(1) निदेशक (प्रशासन) , विदेश मंत्रालय - अध्यक्ष	विभागीय प्रोन्नति समिति की तरह
निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड	(2) विदेश मंत्रालय के सचिव द्वारा नामित किए जाने	
	वाले विदेश मंत्रालय में दो अवर सचिव - सदस्य	

आशुलिपिक कैडर	विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन	स्थायीकरण पर विचार करने हेतु
		विभागीय स्थायीकरण समिति
(I) प्रधान स्टाफ	(1) विदेश मंत्रालय द्वारा नामित सचिव स्तर का एक	लागू नहीं
अधिकारी	अधिकारी - अध्यक्ष	
	(2) विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (प्रशासन) -	
	सदस्य	
	(3) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित एक अतिरिक्त सचिव	
	- सदस्य	
(II) वरिष्ठ प्रधान निजी	(1) आयोग का अध्यक्ष/सदस्य - अध्यक्ष	लागू नहीं
सचिव	(2) विदेश मंत्रालय द्वारा नामित सचिव स्तर का एक	
	अधिकारी - सदस्य	
	(3) विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (प्रशासन) -	
	सदस्य (4) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नामित एक अतिरिक्त सचिव	
	- सदस्य	
(III) प्रधान निजी सचिव	(1) आयोग का अध्यक्ष/सदस्य - अध्यक्ष	(1) विदेश मंत्रालय में प्रशासन प्रभारी
(111) प्रवास सम्बद्ध		संयुक्त सचिव - अध्यक्ष
	(2) विदेश मंत्रालय में प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव -	(2) विदेश मंत्रालय द्वारा नामित विदेश
	सदस्य (3) विदेश मंत्रालय द्वारा नामित विदेश मंत्रालय में संयुक्त	मंत्रालय में संयुक्त सचिव - सदस्य
	सचिव - सदस्य	(3) निदेशक (प्रशासन)] विदेश मंत्रालय
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	(4) निदेशक (प्रशासन)] विदेश मंत्रालय - सदस्य	- सदस्य
		0
(IV) निजी सचिव	(1) विदेश मंत्रालय में प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव -	लागू नहीं
	अध्यक्ष	
	(2) निदेशक (प्रशासन)] विदेश मंत्रालय - सदस्य	
	(3) सचिव, विदेश मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले	
	विदेश मंत्रालय में दो अवर सचिव - सदस्य	
(V) वैयक्तिक सहायक	(1) विदेश मंत्रालय में प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव -	विभागीय प्रोन्नति समिति की तरह
	अध्यक्ष	
	(2) निदेशक (प्रशासन)] विदेश मंत्रालय- सदस्य	
	(3) सचिव, विदेश मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले	
	विदेश मंत्रालय में दो अवर सचिव - सदस्य	
(VI) आशुलिपिक ग्रेड घ	लागू नहीं	(1) निदेशक (प्रशासन)] विदेश मंत्रालय
		- अध्यक्ष
		(2) सचिव, विदेश मंत्रालय द्वारा
		नामित किए जाने वाले विदेश
		मंत्रालय में दो अवर सचिव - सदस्य
		गंगाराच गंचा अचर साचच - स्प्रिय

[सं. क्यू/सीएडी/798/1/2011]

सीबी जॉर्ज, संयुक्त सचिव

Ministry of External Affairs

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April 2016

- G.S.R. 536(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Foreign Service Branch 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, Indian Foreign Service Branch 'B' (Stenographers' Cadre) (Principal Private Secretary Posts) Rules, 1992, Indian Foreign Service Branch 'B' (Stenographers' Cadre), Senior Principal Private Secretary Rules, 2001 and Indian Foreign Service Branch 'B' Principal Staff Officer Rules, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely: -
- 1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Indian Foreign Service Branch 'B' Rules, 2016.
- They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. (2)
- 2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, -
- (a) "approved service" in relation to any Grade means
 - (i) in respect of an officer recruited directly to that Grade, the period or periods of regular service rendered in that Grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on a regular basis in that Grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the 1st day of July of the year, following the year in which the examination for direct recruitment was held;
 - (ii) in respect of an officer recruited to that Grade through departmental examination, period or periods of regular service rendered in that Grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that Grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the 1st day of July of the year for vacancies of which such examination was held;
 - (iii) in respect of an officer recruited to that Grade on the basis of length of service in the lower Grade, period or periods of regular service rendered in that Grade, including period or periods of absence during which he would have held a post on regular basis in that Grade but for his being on leave or otherwise not being available to hold such post, from the 1st day of July of the year for which the recruitment was made;
- (b) "cadre" means the group of posts in the Grades of the service specified in rule 3 and includes temporary additions to the strength of the service;
- (c) "cadre officer" in relation to any Grade means a member of the Service;
- (d) "Commission" means the Union Public Service Commission;
- (e) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of External Affairs;
- (f) "Crucial date of eligibility" for the purpose of promotion referred to in the rules 10 to 17, mean the first day of July of the year of recruitment;
- (g) "Direct recruit" means a person recruited on the basis of competitive examination, other than a departmental competitive examination, through the Staff Selection Commission;
- (h) "Duty post" in relation to any grade of the service means a cadre post held by officers of the service on a regular basis.
- (i) "Grade" means any of the Grades specified in rule 3;
- (j) "Staff Selection Commission" means the Staff Selection Commission in the Department of Personnel and Training.
- (k) "Regular vacancy" in relation to a grade for a select list year means actual vacancies in that grade as on the 1st July, excluding the vacancies of previous select list years for any mode of recruitment for which selection process is not complete, plus anticipated vacancies in that grade due to promotions, retirements, deputations and long leave during the select list year;

- (l) "Select List" in relation to various Grades of the Service, means a list of officers prepared by merging the relevant panels issued for the select list year for all modes of recruitment for that Grade;
- (m) "Select List year" means the period from the 1st July of the year to the 30th June of the following year;
- (n) "Service" means the Indian Foreign Service Branch 'B'.
- **3. Composition of the Service. -** (1) There shall be the following Grades **in the Service**, namely:-

(i) General Cadre:

TABLE

(1)	(2)	(3)
Grade/Classification	Sanctioned Strength 2015	Pay band and Grade Pay
Grade – I (Under Secretary at Hqrs. First Secretaries and Second Secretaries in Missions or Posts abroad.)	249	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus (Grade Pay) Rs. 6600
Central Civil Service Group 'A' Ministerial, Gazetted.		
Attaches and Section Officers at Hqrs. Vice Consuls and Registrars in Missions or Posts abroad.	635	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus (Grade Pay) Rs. 4800 Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus (Grade Pay) Rs. 5400
Central Civil Service Group 'B' Ministerial, Gazetted.		The non-functional Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus Rs. 5400/- (Grade Pay) is admissible to the Section Officers of the Service on completion of 4 years of approved service in that Grade. The Section Officers, who are granted this non-functional pay scale will continue to remain in Group 'B' (Gazetted) and their eligibility for promotion to Grade I (Under Secretary) of the service will be reckoned on the basis of total period, spent in both the scales of Section Officer, counted together.
Assistants at Hqrs. and in Missions or Post abroad. Central Civil Service Group 'B' Ministerial.	829	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600
Upper Division Clerks at Hqrs. and in Missions or Posts abroad	67	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400
Central Civil Service Group 'C' Ministerial.		
Lower Division Clerks at or Posts abroad	215	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 1900
Central Civil Service Group 'C' Ministerial.		
(ii) Cypher Sub-Cadre		
Cypher Assistant	99*	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600
Central Civil Service Group 'B' Ministerial.		

^{*} Note: In future, there will be no recruitment to the grade of Cypher Assistant.

(iii) Stenographers' Cadre

Grade/Classification	Sanctioned Strength	Pay band and Grade Pay
Principal Staff Officer Central Civil Service Group 'A' Ministerial, Gazetted	*Note: There would, however, be flexibility that these posts would be operated at the level of Principal Staff Officer as and when Senior Principal Private Secretary become eligible for consideration for promotion against these posts and till such time these posts would continue to be operated at the level of Senior Principal Private Secretary.	Pay Band – 4 Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 8700
Senior Principal Private Secretary Central Civil Service Group 'A' Ministerial, Gazetted	25	Pay Band – 3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 7600
Principal Private Secretary Central Civil Service Group 'A' Ministerial, Gazetted	134	Pay Band – 3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 6600
Private Secretary Central Civil Service Group 'B' Ministerial, Gazetted	376	Pay Band – 2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4800 Pay Band – 3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 5400 Note: The non-functional Pay Band-3 Rs. 15600- 39100 plus Rs. 5400 Grade Pay is admissible to the Private Secretary of the Service on completion of 4 years of approved service in that Grade. The Private Secretary, who are granted this non-functional pay scale will continue to remain in Group 'B' (Gazetted) and their eligibility for promotion to PPS Grade of the Service will be reckoned on the basis of total period, spent in both the scales of Private Secretary, counted together.
Personal Assistant Central Civil Service Group 'B' Ministerial	355	Pay Band – 2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600
Stenographer Grade "D" Central Civil Service Group 'C' Ministerial,	66	Pay Band – 1 Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400

- (2) On and from the date of commencement of these rules, the authorized permanent strength of the various Grades shall be as may, from time to time, be notified by the Controlling Authority in consultation with the Department of Expenditure.
- **4. Departmental Promotion Committees.** The composition of the Departmental Promotion Committees for the purpose of promotion and Departmental Confirmation Committees for considering confirmation referred to in rules 10 to 17 shall be such as indicated in the Schedule annexed to these rules.

- **5. Power to hold duty posts in abeyance or to declare them ex-cadre -** (1) The Controlling authority may hold in abeyance any permanent or temporary cadre post
- (2) Any duty post in a Grade may be declared by the Controlling Authority to be excluded from the cadre,
- (i) if such a post is required, for the time being, to be filled by the appointment on deputation basis of persons possessing special or technical qualifications or experience, or
- (ii) if it is necessary, for the time being, to fill such a post by a person other than a cadre officer from amongst a person belonging to any other Central Government Service or a State Government Service holding analogous post and possessing qualification or experience as may be prescribed by the Controlling Authority, and on such a declaration being made, the post shall remain excluded from the cadre so long as the said declaration remains in force.

Provided that the appointment shall be in-consultation with the Commission where the field of selection is also from amongst State Government Officers or where it involves Group B or both Group A and Group B officers simultaneously to a Group A service or post.

- **6. Power to post against equivalent post** (1) The controlling authority, if it is satisfied that it is in the public interest to do so,
- (i) may post an employee of the Section Officer of the General Cadre against a post of Private Secretary of the Stenographers' Cadre and in exchange, post a Private Secretary of the Stenographers' Cadre against a post in the Section Officer Grade of the General Cadre;
- (ii) may post a **Cypher Assistant** of the Cypher Sub-cadre against a post of **Assistant** of the General Cadre.
- (2) An employee posted under sub-rule (1) shall continue to draw the Grade pay admissible to him from time to time in his own Grade.
- **7. Deputation of members of the Service** The Government may, at any time, depute a member of the Service to post, equivalent to or higher than that held by him in the Service, in any other Central Service or in an International Organisation or under a foreign employee and a member of the service so deputed shall be shown against a post in the deputation reserve:

Provided that the period of deputation shall not exceed three years in the first instance although the Government may extend the same by further periods not exceeding two years at a time:

Provided further that the total deputation tenure at a stretch should be not more than five years.

- **8. Posting of Cadre Officers.** Every officer shall, unless he is on leave or otherwise not available for holding a duty post, be posted against a duty post of the appropriate Grade in the cadre.
- **9. Duty posts to be held by Cadre Officers.** Every duty post in a Cadre shall, unless declared to be excluded from the Cadre or held in abeyance for any reason under rule 5, be held by a Cadre Officer of the appropriate Grade.
- **10. Recruitment to Grade I (Under Secretary)**.—(1) Regular vacancies in Grade I shall be filled by promotion on selection basis of regular Section Officers of the General Cadre who have on the crucial date undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs and rendered not less than **eight years'** approved service in that Grade.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) any vacancy in Grade I of the General Cadre may, in exceptional cases and in public interest, be filled by the Controlling Authority, in consultation with the Commission, by absorption of an officer holding a permanent Group 'A' ex-cadre post in the Ministry of External Affairs.
- 11. Recruitment to Section Officer's Grade. (1) The regular vacancies in the Section Officers Grade shall be filled by (i) 33.33 % through Limited Departmental Competitive Examination to be held by the Commission from officers of Assistant Grade of the General Cadre and Cypher Assistants of the Cypher Cadre and Personal Assistants of the Stenographers' Cadre who have (a) undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs, (b) possess a Bachelors degree from the recognized University, (c) rendered not less than 5 years approved service and should also have earned at least 4 Annual Performance Appraisal Reports in the Grade(s), as the case may be; and (ii) 66.67 % by promotion of regular Assistants of the General Cadre and those of the Cypher Assistants in position on the date of notification of these rules, in the ratio of 7: 2 who have on the

crucial date undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs and rendered not less than 8 years of approved service and as soon as the persons holding posts of Cypher Assistant on the date as indicated vacate these positions, all the vacancies in the Section Officer grade as per this clause shall thereafter be filled by promotion of Assistants of the General Cadre.

- (2) The procedures for the Limited Departmental Competitive Examination referred to above shall be determined by regulations made by the Central Government in the Ministry of External Affairs.
- 12. Recruitment to Assistant Grade. Regular vacancies in Assistant Grade shall be filled in the following manner, namely:-
- (i) Eighty per cent (80 %) of the regular vacancies in the Assistant Grade shall be filled by direct recruitment of Graduates from a recognised University possessing computer proficiency as may be notified, on the basis of results of Combined Graduate Level Examination held by the Staff Selection Commission once in a year for this purpose.
- (ii) Fifteen percent (15 %) of regular vacancies shall be filled by promotion on the basis of selection from persons included in Upper Division Clerk Grade of the Service who have on the crucial date rendered not less than ten years of approved service in that Grade and undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs:

Provided that the eligibility condition for the above purpose shall continue to be five years "approved service" for persons holding UDC Grade posts on regular basis on the date of commencement of these rules.

(iii) Five percent (5 %) of regular vacancies shall be filled through Limited Departmental Competitive Examination for Upper Division Clerk Grade of the Service who, on the relevant date, has undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs and rendered not less than six years' approved service in the grade to be conducted by the Staff Selection Commission:

Provided that if sufficient numbers of persons do not become available in a particular select list, the vacancies shall be filled in the manner prescribed in clause (ii) above.

- (iv) The rules for the Combined Graduate Level Examination and Limited Departmental Competitive Examination referred above shall be determined by regulations made by Central Government in the Ministry of External Affairs.
- 13. Recruitment to Upper Division Clerk Grade. All vacancies in Upper Division Clerk Grade of the Service shall be filled by promotion on the basis of Seniority-cum-Fitness from persons included in Lower Division Clerk Grade of the Service who have on the crucial date rendered not less than eight years of approved service in that Grade and undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs.
- **14. Recruitment to Lower Division Clerk Grade.** (1) Regular vacancies shall be filled in the following manner, namely:-
- (i) Fifteen percent. (15 %) of regular vacancies may be filled by appointment of Multi Tasking Staff in Group 'C' working in the Ministry of External Affairs, in the following manner, namely:-
- (a) Five percent. (5 %) of the regular vacancies shall be filled on the basis of Limited Departmental Competitive Examination for Multi-Tasking staff in Group 'C' conducted for this purpose by the Staff Selection Commission in which Multi-Tasking staff who have passed the 12th Standard Examination from a recognized Board or equivalent and have rendered not less than 3 years regular service as Group 'C' employee having Grade Pay of Rs. 1800 and undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs shall be eligible to participate subject to such regulations as may from time to time made by the controlling authority.
- (b) Ten percent. (10 %) of the regular vacancies may be filled on Non-Selection basis from amongst those Multi-Tasking Staff in Group C working in the Ministry of External Affairs who have on the crucial date rendered not less than 3 years regular service and undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs and are within the range of seniority prescribed by the Controlling Authority and are educationally qualified for appointment as Lower Division Clerks, i.e. who have passed the Matriculation or an equivalent qualifications as prescribed in model recruitment rules for Group 'C' posts:

Provided that if sufficient number of persons do not become available, the vacancies shall be filled in the manner prescribed in clause (ii);

(ii) Eighty Five per cent. (85 %) of the vacancies or such higher percentage as may be determined by the Controlling authority in accordance with the proviso to clause (i), shall be filled by the direct recruitment on the basis of competitive examination held for the purpose by the Staff Selection Commission:

Provided that to the extent to which a sufficient number of qualified candidates of the competitive examination, referred to in clauses (i) and (ii) are not available for appointment on the result of such examination, the vacancies may be filled, provisionally or on a regular basis in such manner as may be determined by the Controlling Authority.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Controlling Authority may fill such percentage, arising in a year, otherwise than as provided for in the rules on compassionate grounds in accordance with the relevant instructions from time to time notified by the Central Government.
- 15. Appointment to Principal Staff Officer, Senior Principal Private Secretary and Principal Private Secretary Grade. (1) Regular vacancies in the Principal Staff Officer Grade shall be filled as per the guidelines issued for Non-Functional Selection Grade applicable in case of organised Group 'A' Services with officers of the Senior Principal Private Secretary Grade who have on the crucial date rendered not less than five years of approved service in that Grade failing which by promotion of Senior Principal Private Secretary with 10 years combined regular service in the Grade of Senior Principal Private Secretary and Principal Private Secretary out of which minimum three years shall be in the Grade of Senior Principal Private Secretary.
- (2) Regular vacancies in the Senior Principal Private Secretary Grade shall be filled by promotion through selection of regular officers of the Principal Private Secretary Grade who have on the crucial date undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs and rendered not less than five years' approved service in that Grade.
- (3) Regular vacancies in the Principal Private Secretary Grade shall be filled by promotion through selection of regular officers of the Private Secretary Grade who have on the crucial date undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs and rendered not less than eight years approved service in that Grade.
- **16. Recruitment to Private Secretary Grade. -** (1) (i) 66.67 per cent of the regular vacancies in the Grade of Private Secretary shall be filled by promotion (seniority quota) on seniority basis from amongst Personal Assistants of the Stenographers' Cadre of the Service who have on the crucial date undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs and rendered not less than eight years approved service in that grade; and
- (ii) 33.33 per cent through Limited Departmental Competitive Examination to be conducted by the Commission from regular Personal Assistants of the Stenographer Cadre of the service who on the crucial date possess a Bachelor Degree of a recognised University and have rendered not less than five years approved service in that grade and undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs.
- (2) The procedures for the Limited Departmental Competitive Examination referred to above shall be determined by the regulations made by the Central Government in the Ministry of External Affairs.
- 17. Recruitment to Personal Assistant Grade . (1) The regular vacancies in the Grade of Personal Assistant shall be filled (i) 62.5% by direct recruitment through Competitive Examination held by the SSC, (ii) 25% by promotion (seniority quota) on selection basis from amongst Stenographer Grade 'D' of the Service who have on the crucial date undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs and rendered not less than ten years approved service in that grade and (iii) 12.5% through Limited Departmental Competitive Examination held by the SSC who have rendered not less than 06 years approved service and undergone and successfully completed such mandatory training programme(s) as may be prescribed by the Ministry of External Affairs:

Provided that eligibility service for the above purpose shall continue to be five years approved service for persons holding Stenographer Grade 'D' posts on regular basis before the date of commencement of these rules.

(2) The rules for the Limited Departmental Competitive Examination referred to above shall be determined by the regulations made by the Central Government in the Ministry of External Affairs.

- **18. Recruitment to Stenographer Grade 'D'. -** (1) Regular vacancies in Stenographer Grade 'D' of the service shall be filled by direct recruitment on the basis of competitive examination conducted for the purpose by the Staff Selection Commission.
- (2) The rules for the Competitive examination referred to in sub-rule (1) may be prescribed by regulations as may be made by the Ministry of External Affairs.
- 19. Consideration of Seniors. Notwithstanding the provisions contained in rules 10 to 17, where juniors who have completed their eligibility service and fulfil all other prescribed requirements including training are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they fulfil all other prescribed requirements for promotion and are not short of the requisite eligibility service by more than half of such eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such eligibility service.
- **20. Seniority**. (1) The relative seniority of members of the Service appointed to any Grade before the commencement of these rules shall be regulated by their relative seniority as determined before the said date:

Provided that, if the seniority of any such officer had not been specifically determined before the said date, it shall be as determined by the Central Government in the Ministry of External Affairs in consultation with the Commission.

- (2) The seniority of persons appointed to any Grade after the date of commencement of these rules shall be determined in accordance with the General instructions issued by the **Central** Government **on the subject** from time to time.
- **21. Probation.** (1) Every officer, (i) in the General Cadre either directly recruited or promoted to Lower Division Clerk Grade or directly recruited or promoted to Assistant Grade or promoted to Grade I and, (ii) directly recruited to Stenographer Grade D or promoted or directly recruited to the post of Personal Assistant or promoted to the post of Principal Private Secretary of the Stenographers' Cadre shall initially be appointed on probation, the period of probation being two years from the date of appointment:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time.

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reason for so doing within the said period.

- (2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed in the due course as the case may be.
- (3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be **where Controlling Authority** is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the **Controlling Authority** may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.
- (4) During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by the **Controlling Authority** to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations, and tests (including examination in Hindi) as **Controlling Authority** may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.
- (5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the **Central Government** in this regard from time to time.
- **22.** Candidates must be citizen of India . (1) A candidate for appointment to the service must be a citizen of India or must belong to such categories of persons as may, from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training.
- (2) No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having his spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub-rule

- **23.** Other conditions of service. The condition of service of the members of the Service in respect of matters for which no provision exists in these rules or for which no specific rules have been made separately, shall be the same as are applicable from time to time of officers of the Central Civil Services Groups 'A' to' C'.
- **24. Removal of difficulties. -** The Central Government may, from time to time, issue such general or special directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these rules.
- **25. Regulations.** In pursuance of these rules, regulations may be made, not inconsistent with these rules, to provide for all matters for which provision is necessary or expedient, for the purpose of giving effect to these rules.
- **26.** Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts:

Provided that this dispensation shall be exercised by the Controlling Authority in respect of Group C posts except the provisions of the recruitment rules governing upper age limit or qualifications for direct recruitment.

27. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Annexure

SCHEDULE

Composition of Departmental Promotion Committee (DPC) for Promotion/Confirmation with reference to rule 4 of the rules.

General Cadre	Composition of Departmental Promotion Committee	Departmental Confirmation committee for considering confirmation
(I) Grade I (Under	(1) The Chairman/Member of the Commission - Chairman	(1) Joint Secretary in charge of Administration in the Ministry of
Secretary)	(2) Joint Secretary in charge of Administration in the Ministry of External Affairs - Member	External Affairs - Chairman
	(3) Joint Secretary in the Ministry of External Affairs to be nominated by Secretary, Ministry of External Affairs - Member	(2) Joint Secretary in the Ministry of External Affairs to be nominated by the Secretary, Ministry of External Affairs - Member
	(4) Director (Administration), Ministry of External Affairs - Member	(3) Director (Administration), Ministry of External Affairs - Member
(II) Section Officers	(1) Joint Secretary in charge of Administration in the Ministry of External Affairs - Chairman	Not applicable
	(2) Director (Administration) in the Ministry of External Affairs - Member	
	(3) Two other Under Secretaries in the Ministry of External Affairs to be nominated by the Secretary, Ministry of External Affairs - Member	
(III) Assistant Grade	(1) Joint Secretary in charge of Administration in the Ministry of External Affairs - Chairman	Same as Departmental Promotion Committee
	(2) Director (Administration) in the Ministry of External Affairs - Member	

	(3) Two other Under Secretaries in the Min External Affairs to be nominated by the Secretar of External Affairs	-			
(IV) Division Grade	 (1) Director (Administration) in the Ministry Affairs	of External - Chairman		Not applicable	
	(2) Two other Under Secretaries in the External Affairs to be nominated by Secretary, External Affairs	-			
(V) Lower Division Grade	(1) Director (Administration) in the Ministry Affairs	of External - Chairman	Same as Committee	Departmental	Promotion
	(2) Two other Under Secretaries in the External Affairs to be nominated by Secretary, External Affairs	-			

Stenographers Cadre	Composition of Departmental Promotion Committee	Departmental Confirmation committee for considering confirmation
(I) Principal Staff Officer (PSO)	(1) A Secretary rank Officer nominated by the Ministry of External Affairs - Chairman (2) Additional Secretary (Administration) in the Ministry of External Affair - Member	Not applicable
(II) Senior Principal	 (3) An Additional Secretary nominated by the Ministry of Commerce - Member (1) The Chairman/Member of the Commission 	Not applicable
Private Secretary (Senior PPS)	- Chairman	Not applicable
	(2) A Secretary rank Officer nominated by the Ministry of External Affairs - Member	
	(3) Additional Secretary (Administration) in the Ministry of External Affairs - Member	
	(4) An Additional Secretary nominated by the Ministry of Commerce - Member	
(III) Principal Private Secretary (PPS)	(1) The Chairman/Member of the Commission - Chairman	(1) Joint Secretary in charge of Administration in the Ministry of External Affairs - Chairman
	(2) Joint Secretary in charge of Administration in the Ministry of External Affairs -Member	(2) Joint Secretary in the Ministry of External Affairs to be nominated by the Ministry of External Affairs - Member
	(3) Joint Secretary in the Ministry of External Affairs to be nominated by the Ministry of External Affairs - Member	(3) Director (Administration), Ministry of External Affairs - Member
	(4) Director (Administration), Ministry of External - Member	
(IV) Private Secretary (PS)	(1) Joint Secretary in charge of Administration in the Ministry of External Affairs - Chairman	Not applicable
	(2) Director (Administration) in the Ministry of External Affairs - Member	

	(3) Two other Under Secretaries in the Ministry of External Affairs to be nominated by the Secretary (MEA) - Member	
(V) Personal Assistant (PA)	(1) Joint Secretary in charge of Administration in the Ministry of External Affairs - Chairman	Same as DPC
	(2) Director (Administration) in the Ministry of External Affairs - Member	
	(3) Two other Under Secretaries in the Ministry of External Affairs to be nominated by the Secretary (MEA) - Member	
(VI) Stenographer Grade D	Not Applicable	(1) Director (Administration) in the Ministry of External Affairs - Chairman
		(2) Two other Under Secretaries in the Ministry of External Affairs to be nominated by the Secretary (MEA) - Member

[No. Q/CAD/798/1/2011] SIBI GEORGE, Jt. Secy.